उत्तर प्रदेश शासन

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

संख्या-12/2015/280/78-2-2015-19आई.टी./2015

लखनऊः दिनांकः 10 मार्च, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) के पत्र सं0-ए-2-3619/दस-82 -10(47)/82 दिनांक 07.03.1983 तथा तदनुक्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से निर्गत वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) के अर्द्ध शा0 पत्र सं0 वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सि0/रे0)205/दस-10(135)/2001 दिनांक 20.06.2013 के निर्देशानुसार महत्वपूर्ण लेखा आपत्तियां जिनका समावेश आडिट रिपोर्ट में नहीं हुआ है, का निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग में एतद्द्वारा निम्नवत "आडिट कमेटी" का गठन किया जाता है:-

1. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0शासन — अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा नामित वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी — सदस्य
3. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा नामित प्रतिनिधि — सदस्य
4. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को — सदस्य

2. गठित "आडिट कमेटी" के समक्ष वही महत्वपूर्ण लेखा आपत्तियां विचारार्थ ली जायेंगी जिनका निस्तारण वरिष्ठ उप महालेखाकार/उपमहालेखाकार व विभागाध्यक्षों तथा आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव व महालेखाकार के मध्य हुये विचार विमर्श के उपरान्त भी न हुआ हो।

(जी. एस. प्रियदर्शी)
विशेष सचिव

संख्या- 12/2015/280(1)/78-2-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, आडिट प्रकोष्ठ(सि0/रे0), उ.प्र. शासन।
4. प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/अनु सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के समस्त अनुभाग-1/2।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in